न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या - 52/2025

सरकार बनाम सितारा आदि।

थाना- खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर।

दिनांक-20.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण सुल्तान, सितारा, सानिया और नदीम जेल से उपस्थित आये। शेष अभियुक्त इकबाल हाजिर आया। राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर प्रार्थना पत्र 14A प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उपरोक्त सत्रवाद माननीय न्यायालय में साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन है तथा उपरोक्त मु०अ०सं० 13/2025 से संबंधित सत्रवाद संख्या 84/2025 सरकार बनाम सानिया आदि, धारा 85, 80(2) बी.एन.एस. व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना खुर्जा देहात माननीय न्यायालय में आज विचाराधीन है। न्यायहित में दोनो सत्रवादों को समेकित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त दोनों सत्रवादों को समेकित कर सत्रवाद सं० 52/2025 सरकार बनाम सितारा आदि अन्तर्गत धारा–85, 80(2) बी.एन.एस. व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना खुर्जा देहात को मुख्य पत्रावली बनाये जाने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावलियों का परिशीलन किया।

पत्रावलियों के परिशीलन से विदित है कि सत्र वाद संख्या 52/2025, सरकार बनाम सितारा आदि, मु०अ०सं०–13/2025, अन्तर्गत धारा–85, 80(2) बी.एन.एस. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर इस न्यायालय में साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन है। राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त पत्रावली से संबंधित इसी न्यायालय में लम्बित अन्य पत्रावली मु०अ०सं०–13/2025 से संबंधित सत्रवाद संख्या 84/2025 बनाम सानिया आदि धारा 85, 80(2) बी.एन.एस. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर के साथ इकजाई किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त दोनों पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सभी वादों में विषय वस्तु समान हैं तथा दोनों पत्रावलियां एक ही अपराध से संबंधित है एवं साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन हैं तथा सत्र वाद सं० 52/2025 की समानांतरता में है। ऐसी स्थिति में दोनों वादों का एक साथ विचारण किया जाना न्यायोचित होगा। अतः वाद की बहुलता तथा शीघ्र निस्तारण किये जाने के लिए एवं उचित न्याय निर्णयन हेतु उक्त सभी पत्रावलियों को इकजाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14A स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14A स्वीकार किया जाता है। सत्र वाद संख्या 52/2025, सरकार बनाम सितारा आदि एवं सत्रवाद संख्या 84/2025, सरकार बनाम सानिया आदि को इकजाई किया जाता है। सत्र वाद संख्या 52/2025, सरकार बनाम सितारा आदि, मु०अ०सं०–13/2025, अन्तर्गत धारा–85, 80(2) बी.एन.एस. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर को अग्रणी वाद बनाया जाता है, समस्त साक्ष्य अग्रणी वाद में अंकित किये जायेंगे।

पत्रावली मु०अ०सं०–13/2025 से संबंधित सत्रवाद संख्या 84/2025 बनाम सानिया आदि धारा 85, 80(2) बी.एन.एस. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर अग्रणी वाद से सम्बन्धित वाद रहेगा। उक्त आदेश की एक प्रति सम्बन्धित सत्रवाद संख्या 84/2025 सरकार बनाम सानिया आदि की पत्रावली पर रखी जाये।

सत्रवाद संख्या 84/2025 सरकार बनाम सानिया आदि में विरचित आरोपों के संबंध में अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में सरकार बनाम सानिया के वाद में धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत वैकल्पिक आरोप विरचित किया गया है। जबकि सत्रवाद संख्या 52/2025 सरकार बनाम सितारा में धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत वैकल्पिक आरोप विरचित नहीं हुआ है, जिस कारण आरोपों में संशोधन किया जाये। उभयपक्षों के उपरोक्त कथनों के आधार पर उक्त दोनों सत्रवादों के अवलोकन से यह दर्शित है कि सत्रवाद संख्या 52/2025 सरकार बनाम सितारा के मामले अभियुक्तगण के विरूद्ध वैकल्पिक आरोप विरचित नहीं हुआ है। जबकि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई विधि व्यवस्थाओं में दिशा–निर्देश दिये गये हैं। उक्त वैकल्पिक आरोप भूलवश विरचित हो जाने से रह गया है। धारा 239 बी.एन.एस.एस. में निर्णय सुनाये जाने से पूर्व किसी भी समय न्यायालय द्वारा आरोपों में परिवर्तन या परिवर्धन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सत्रवाद संख्या 52/2025 सरकार बनाम सितारा में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत वैकल्पिक आरोप विरचित किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है। लंच उपरांत वैकल्पिक आरोप विरचन हेतु पेश हो।

दिनांक: 20.01.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)
J.O. CODE- UP 1674

<u>दिनांक: 20.01.2026</u>

लंच उपरांत पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण सितारा, सुल्तान व इकबाल उपस्थित आये। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत वैकल्पिक आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया एवं विचारण की मांग की गयी। चूंकि सत्रवाद संख्या 84/2025 सरकार बनाम सानिया आदि के मामले में अभियुक्तगण को साक्षी पी०डब्लू० 1 मुजाहिद अली से जिरह का अवसर नहीं मिला एवं सत्रवाद संख्या 52/2025 में वैकल्पिक आरोप भी विरचित किया गया है। अतः साक्षी पी०डब्लू० 1 मुजाहिद अली को जिरह हेतु तलब किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है। पत्रावली दिनांक 04.02.2026 को वास्ते जिरह साक्षी पी०डब्लू० 1 हेतु पेश हो।

दिनांक: 20.01.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.01.20 17:08:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court